(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

2641C

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SACHIVALAYA, I.P.ESTATE: NEW DELHI-02

No.F.12(17)/Fin(Rev-I)/2011-12/DS III/1421 Dated: 07/12/2011

NOTIFICATION

No. -In exercise of the powers conferred by section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Delhi Excise (Third Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. Amendment of Rule 32. – In the Delhi Excise Rules, 2010 (hereinafter referred to as "the principal Rules"), in rule 32, in sub-rule (1), in the table, in the description in third column, under the heading 'Details of Licences', against L-10 Licence appearing at Sl. No.15, for the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls", the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls and Shopping Complex at Airport", shall be substituted.

3. Amendment of Rule 154. – In the principal Rules, in rule 154, in sub-rule (2), in the table, in the description in fourth column, under the heading 'Description of Licences' against L-10 Licence appearing at Sl. No.12, for the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls", the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls and Shopping Complex at Airport", shall be substituted.

4. Amendment of Form L-10. – In the principal Rules, in the forms appended therewith, in FORM L-10, for the words, figure and bracket "L-10 (Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls)", the words, figure and bracket "L-10 (Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls and Shopping Complex at Airport)", shall be substituted.

By order and in the name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

7/12/11

(S.K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

No. No.F.12(17)/Fin(Rev-I)/2011-12/DS III/1421 Dated 07/12/2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.

9C

2. The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi
3. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Deputy Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. Web site.
6. Guard File.

(S. K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
चौथा तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0: 12(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/ दिनांक: 07/12/11

अधिसूचना

सं0फा0 12(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/ .– दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः–** (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 32 में संशोधनः–** दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 (इसके पश्चात् जिसे "मुख्य नियमावली" कहा गया है) के नियम 32 के उपनियम (1) की तालिका के तीसरे कॉलम में दिये गए विवरण में "लाइसेंसों का विवरण" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं0 15 पर उल्लिखित एल–10 लाइसेंस के सामने "शॉपिंग मालों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों के स्थान पर "शॉपिंग माल तथा हवाई अड्डों पर शामिल काम्प्लैक्सों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **नियम 154 में संशोधनः–** मुख्य नियमावली के नियम 154 के उपनियम (2) की तालिका के चौथे कॉलम में विवरण में, "लाइसेंसों का विवरण" शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं0 12 पर उल्लिखित एल–10 लाइसेंस के सामने "शॉपिंग मालों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों के स्थान पर "शॉपिंग माल तथा हवाई अड्डों पर शामिल काम्प्लैक्सों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **फार्म एल–10 में संशोधन :–** मुख्य नियमावली के साथ संलग्न फार्मों के फार्म एल–10 के शब्द, अंक तथा कोष्ठक "एल–10 (शॉपिंग मालों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री)" के स्थान पर "एल–10 (शॉपिंग माल तथा हवाई अड्डों पर शामिल काम्प्लैक्सों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप– सचिव –III (वित्त)

सं फाः 12(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली, को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. आयुक्त (आबकारी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एल –ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. उप–सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
5. वेबसाइट ।
6. गार्ड फाईल ।

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप– सचिव –**III** (वित्त)